


एल सी दर अनुसार जाँच कर रिपोर्ट तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 23.04.2021 से रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये रास्ता विलानाम आ.न. 883 में से 0.02 बीघा भूमि प्रभावित होगी।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 885/1 में आने जाने हेतु ख. न. 883 में से रास्ता चाहते हैं। प्रार्थी के आ.न. 885/1 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। सुगम व सही रास्ता आ.न. 883 में से ही संभव है। यह आराजी विलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है। जिससे आ.न. 883 में से रकबा 0.02 बीघा रास्ता दिया जाना उचित है। जिससे न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कांसया प. ह. बांकरा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 885/1 रकबा 11.02 बीघा में आने जाने के लिये आ. न. 883 में से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। आ.न. 883 में से रास्ता हेतु रकबा 0.02 बीघा भूमि प्रभावित होगी। तथा प्रभावित रकबा आ.न. 883 में से रकबा 0.02 बीघा की डी एल सी दर की दुगुनी 4800 रु. चार हजार आठ सौ रु. बनते हैं जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। एवं रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)